जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि/परीक्षा-2/2022/456 दिनांक : 07.04.2022

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/2022/412 दिनांक 25.03.2022 एवं पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/2022/423 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से महाविद्यालय की दूरी एवं छात्रों की बैठक व्यवस्था के कारण छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

**MORENA DISTRICT **

CENTER NAME	NAME OF THE COLLEGE WHOS EXAMINATIONS WILL BE CONDUCTED AT THE EXAMINATION CENTRE SHOWN IN FRONT
{P436} S.R.D. COLLEGE, MORENA	{P421} PT. S.C. UPDADHYAYA COLLEGE, JOURA KHURD, MORENA {P429} JAI MATA DI MAHAVIDHYALAYA, MORENA {P418} SWAMI VIVEKANAND COLLEGE, BILGAON, JAURA, MORENA {P441} K.S. MAHAVIDHYALAYA, MORENA {P433} MAA SHANTIDEVI COLLEGE MORENA
{P430} T.S.S COLLEGE, MORENA	{P436} S.R.D. COLLEGE, MORENA {P437} B.L. COLLEGE, MORENA

आवश्यक नोट :-

1. उपरोक्त आधिसूचना आज दिनांक 07.04.2022 के पश्चात् होने वाली स्नातक - द्वितीय एवं तृतीय वर्ष परीक्षा मार्च-अप्रैल, 2022 की समस्त परीक्षाओं पर लागू होंगे।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/2022/412 दिनांक 25.03.2022, पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/2022/423 दिनांक 29.03.2022 एवं पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/2022/439 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी अन्य समस्त परीक्षा केन्द्र यथावत रहेंगे।
3. नवीन परिवर्तित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष उक्त छात्रों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा सामग्री पूर्व में निर्धारित परीक्षा केन्द्र से प्राप्त कर परीक्षाएं सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

परीक्षा नियंत्रक

विशेष नोटः-

1. समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यगण यह सुनिश्चित करलें कि संलग्न परीक्षा केन्द्र सूची के अनुसार उनके महाविद्यालय के परीक्षार्थीगण सम्बंधित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों। **नवीन परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्राचार्यगण अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करायें।**

2. समस्त वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि संलग्न परीक्षा केन्द्र सूची के अनुसार सम्बंधित महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करायें। परीक्षा केन्द्र से

भिन्न किसी भी महाविद्यालय के परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित न करायें। यदि वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष के द्वारा ऐसे किसी परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित कराया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष का होगा और ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया जायेगा।

नोटः-

1. जिन अशासकीय महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र सम्बंधित जिले के शासकीय महाविद्यालय के अधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बनाया गया है उन केन्द्रों हेतु प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय (सम्बंधित जिला) केन्द्राध्यक्ष नियुक्त कर विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित करें। अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भी इस सम्बंध में तत्काल शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करायें।

2. जिन अशासकीय महाविद्यालयों को सम्बंधित शासकीय महाविद्यालय (सम्बंधित जिले के) अधीन परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। वह शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर आवश्यक रूप से परीक्षा केन्द्र हेतु केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करायें। नियुक्त किये गये केन्द्राध्यक्षों के नाम विश्वविद्यालय को सूचित करें।

3. **जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा जिन शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, अगर वहां पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है तथा उनके पास फर्नीचर की कमी है, ऐसे महाविद्यालय फर्नीचर की व्यवस्था उन महाविद्यालयों से सहयोग लेकर की जाये जिनके छात्रों की परीक्षा हो रही है/ महाविद्यालय परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु बाजार से भी उक्त व्यवस्था कर सकते हैं तथा किराये का समायोजन परीक्षा संचालन व्यय में से किया जा सकता है। राशि कम होने पर पृथक से विश्वविद्यालय को अतिरिक्त भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाये।**

// अत्यावश्यक आदेश //

ऐसे महाविद्यालय जिनके परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया गया है उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नवीन परीक्षा केन्द्रों पर अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के डॉकेट एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें।

आपातकालीन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र निर्धारण समिति की अनुशंसा एवं कुलपति महोदया के अनुमोदन के पश्चात किसी भी महाविद्यालय को किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर स्थानांतरित कर सकेगा तथा कोई नया परीक्षा केन्द्र भी निर्मित कर सकेगा। जिला प्रशासन के द्वारा किसी परीक्षा केन्द्र के संबंध में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर उस परीक्षा केन्द्र पर सम्पन्न परीक्षा को परीक्षा समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति महोदया निरस्त कर सकेंगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रभारी एम.पी. ऑनलाईन श्री संजय बरतरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन शासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है उनके आईडी एवं पासवर्ड उसी अनुसार जनरेट कराकर सम्बंधित अशासकीय महाविद्यालय जिनका परीक्षा केन्द्र शासकीय विद्यालयों को बनाया गया है, के प्राचार्यो को आबंटित करें। जिससे वे दिये गये लॉगिन आइडी से परीक्षार्थियों के केन्द्र प्रपत्र एवं डाकेट प्राप्त किये जा सके।

2. प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालय, जिनका परीक्षा केन्द्र शासकीय विद्यालयों को बनाया गया है वे श्री संजय बरतरिया से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर परीक्षा केन्द्र के डॉकेट एवं केन्द्र प्रपत्र निकालकर सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य को सौंपे। जिससे परीक्षायें सुचारू रूप से सम्पन्न कराई जा सके।

3. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन भोपाल, कृपया संशोधित परीक्षा केन्द्र सूची अनुसार आगामी कार्यवाही करें।

4. प्रभारी, परीक्षा भवन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप/सहा.-कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)